

Form No-III

फॉर्म अहकाम (नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

रायसिंहनगर

पता नम्बर 3.F.P.D.

बनाम

सरकार

किरम मुकदमा 136 एल आर एक्ट

नम्बर 136 सन् 2021

जी सी.एम.एस. आईडी 2021 /

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी किए
	<p>तहसीलदार भूअ / नायब तहसीलदार <u>रायसिंहनगर</u>            रायसिंहनगर के पंचक/भूअ / प्र.गा.सं.अ / 2021 / <u>397-403</u>            दिनांक <u>28/10/21</u> के द्वारा प्रशासन गांवों के संग            अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>गवाहीदपुर</u>            में प्रार्थी के नाम चक <u>3.F.P.D.</u> की जमाबंदी सम्वत्  <u>2075-2078</u> के खाता सं. <u>115</u> में  <u>S.B.D. शाखा गवाहीदपुर</u>            के स्थान पर <u>S.B.D. शाखा गवाहीदपुर</u></p> <p>की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की हैं।            प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प            कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार            दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति            जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब            तहसीलदार <u>गवाहीदपुर</u> रायसिंहनगर की अनुशंषा            के आधार पर वाक चक <u>3.F.P.D.</u> तहसील            रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्वत् <u>2075-2078</u>            के खाता सं. <u>115</u> में <u>एच.के.ओ.</u>  <u>गवाहीदपुर</u> के स्थान पर  <u>S.B.D. शाखा गवाहीदपुर</u></p> <p>की दुरुस्ती करने            के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी            अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय            का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो।            पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।            आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(अर्पिता सोनी)            उपखण्ड अधिकारी            रायसिंहनगर</p>	